भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2342
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के लिए कार्यक्रम

2342. श्री आलोक शर्मा:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री जुगल किशोर:
श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्यावली में आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय शामिल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ सहित संपूर्ण देश में हाल ही में फसल-उपरांत हानियों का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण और शीतागार अवसंरचना में सुधार के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या विदेशी निवेशकों के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल-उपरांत हानियों के आकलन का ब्यौरा क्या है और क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण अवसंरचना है;

(ङ) यदि हां, तो भिवानी-महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित या चल रही किसी परियोजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पहले से ही अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से न केवल प्रसंस्करण और संरक्षण बुनियादी ढांचे को बनाने में मदद मिलती है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य अपव्यय को भी कम करने में मदद मिलती है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं।

(ख): मंत्रालय प्राथमिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययनों के माध्यम से समय-समय पर देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए कटाई के बाद होने वाले नुकसान का अनुमान लगाता है। मंत्रालय ने वर्ष 2022 में नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) के माध्यम से "भारत में कृषि उत्पादों के कटाई के बाद होने वाले नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन" करवाया था। यह अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 54 फसलों/वस्तुओं के लिए कटाई के बाद होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने के लिए किया गया था । अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में अनुमानित नुकसान का विवरण इस प्रकार है:

फसलें/वस्तुएं	अनुमानित हानि(%)	
	भिवानी	महेंद्रगढ़
बाजरे	3.74	3.75
कपास	2.14	2.28
चना	6.98	-
रेपसीड/ सरसों	4.97	-

(ग) से (च): मंत्रालय की योजनाएं मांग आधारित प्रकृति की हैं और पूरे भारत से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मंत्रालय कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना स्वयं नहीं करता है। इसके अलावा, मंत्रालय स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज का समर्थन नहीं करता है।

भारत सरकार, भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए, क्षेत्रीय विनियमों के अधीन 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है।

एमओएफपीआई द्वारा करवाए गए भारत में कृषि उत्पादों के कटाई के बाद होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए अध्ययन " की रिपोर्ट के अनुसार , अध्ययन का दायरा भारत के सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 54 फसलों/वस्तुओं के संबंध में कटाई के बाद होने वाले नुकसान का आकलन करना था। पहचान की गई फसलों के सभी प्रमुख उत्पादक जिलों को अध्ययन के तहत शामिल किया गया था । तदनुसार, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कोई भी फसल नहीं चुनी गई ।

पीएमएफएमई योजना के तहत, भिवानी में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत 48 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी ऋण स्वीकृत राशि 4.42 करोड़ रुपये है और महेंद्रगढ़ में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत 18 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी ऋण स्वीकृत राशि 3.13 करोड़ रुपये है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजना खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत, भिवानी में आरकॉम ऑयल्स एंड सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹20.71 करोड़ है और अनुदान सहायता ₹5.00 करोड़ है। परियोजना चालू है और ₹5.00 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई है।

*****